

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

332

दिनांक - 25.2.19

प्रार्थीगण
1 तोगाराम पुत्र करनाराम वगैराह जाति जाट निवासी मूढाणों की ढाणी (सरणू चिमनजी) तहसील व जिला बाड़मेर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 735/2018


बनाम

अप्रार्थीगण

1 नंदराम पुत्र नगाराम वगैराह जाति जाट निवासी मूढाणों की ढाणी (सरणू चिमनजी) तहसील व जिला बाड़मेर
दिनांक- 22.02.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूढणों की ढाणी पटवार क्षेत्र सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 66 रकबा 152.13 बीघा खसरा संख्या 63 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 64 रकबा 0.19 बीघा खसरा संख्या 65 रकबा 0.11 बीघा कुल रकबा 154.15 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर


दिनांक- 25.2.19

क्रमांक :- रीडर/2019/

332 - 336

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. तोगाराम पुत्र करनाराम वगैराह जाति जाट निवासी मूढाणों की ढाणी (सरणू चिमनजी) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नंदराम पुत्र नगाराम वगैराह जाति जाट निवासी मूढाणों की ढाणी (सरणू चिमनजी) तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर